न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्रीमती मनीषा तिवारी (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 110/2012/राजस्व वाद

उनवान

1. लालचन्द पि. कंवरलाल जाति मेघवाल नि. संधारा तह.भानपुरा

– वादी

बनाम

2. बीरम पि. मांग्या जाति मेघवाल नि. कनवाडी तह.पिडावा
3. बालचन्द पि. हेमराज जाति गेहर नि. झीकडी तह.पिडावा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिड़ावा

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 , 188 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील वादीगण – श्री विनोद जैन

वकील प्रतिवादीगण – श्री नीलकमल त्रिवेदी/श्री अशोक पाटीदार

निर्णय दिनांक : 27.10.20

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा ग्राम रूपपुरा पटवार मण्डल कनवाडी की आराजी ख.नं. 173/258 रकबा 4 बीघा जिसके वर्तमान ख.नं. 244/173 है। उक्त भूमि के संबंध में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 88 , 188 के तहत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी सं. 1 ने दि. 14.11.1994 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय करके कब्जा वादी को संभला दिया था तब से निरन्तर वादी का कब्जा चला आ रहा है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर बार बार नामा. दर्ज करने हेतु पटवारी हल्का को निवेदन किया परन्तु नामा. दर्ज नहीं किया गया। बाद में प्रतिवादी सं. 1 ने उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 2 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचान कर दी एवं दि. 30.05.2000 को उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 2 के नाम दर्ज हो गई। प्रतिवादी सं. 1 को सारी जानकारी होने के बावजूद उसने दोबारा भूमि का बेचान किया। वाद कारण दि. 25.06.2012 को नामा. की प्रति प्राप्त होने पर उत्पन्न हुआ। अतः वाद वादी स्वीकार कर ग्राम रूपपुरा की आराजी ख.नं. 244/173 रकबा 4 बीघा भूमि का वादी को खातेदार कृषक घोषित कर प्रतिवादी सं. 2 का नाम खाते से खारीज किया जावे एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Tiwari
Date: 2020.10.27 16:55:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

जावे। वाद पत्र के साथ नकल नामा सं. 287 की प्रति व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दि. 15.11.1994 की प्रति संलग्न की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब करने पर प्रतिवादी सं. 2 की ओर से वकील श्री नीलकमल त्रिवेदी ने वकालातनामा प्रस्तुत कर वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों को गलत एवं अस्वीकार कर जवाब दावा पेश कर वादी का वाद मय हर्जे खर्चे खारीज करने का निवेदन किया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से वकील श्री अशोकपाटीदार/श्री नीलकमलत्रिवेदी ने वकालातनामा पेश किया।

दौराने वाद दिनांक 11.10.2018 को उभय पक्षकारान द्वारा उपस्थित होकर उनके मध्य हुये आपसी राजीनामा पत्र प्रस्तुत कर मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री करने की प्रार्थना की। पक्षकारान की पहचान उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा की गई।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

वाद पत्र , जवाब दावा , राजस्व रिकार्ड व राजीनामा पत्र का अवलोकन किया गया एवं अभिभाषकगण द्वारा की बहस पर गौर किया गया। प्रस्तुत वाद में यह पाया कि ग्राम रूपपुरा की वादग्रस्त आराजी ख.नं. ख.नं. 173/258 रकबा 4 बीघा जिसके वर्तमान ख.नं. 244/173 है भूमि वादी द्वारा दिनांक 15.11.1994 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र प्रतिवादी सं. 1 से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया। पक्षकारान के मध्य हुये आपसी राजीनामा पत्र से स्पष्ट है कि वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी को प्रतिफल अदा कर खरीद कर कब्जा प्राप्त किया एवं वाद वादी डिक्री करने में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः प्रस्तुत वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार कर वाद डिक्री किया जाकर ग्राम रूपपुरा पटवार मण्डल कनवाडी की जमाबंदी सं. 2069–72 के खाता सं. 64 आराजी ख.नं. 244/173 रकबा 4 बीघा भूमि का वादी लालचन्द को खातेदार घोषित किया जाता है।

पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करें।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्री मनीषा तिवारी)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Tiwari
Date: 2020.10.27 16:55:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

बइजलास – श्रीमती मनीषा तिवारी (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 110/2012/राजस्व वाद

उनवान

1. लालचन्द पि. कंवरलाल जाति मेघवाल नि. संधारा तह.भानपुरा

– वादी

बनाम

1. बीरम पि. मांग्या जाति मेघवाल नि. कनवाडी तह.पिडावा
2. बालचन्द पि. हेमराज जाति मेहर नि. झीकडी तह.पिडावा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिड़ावा

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 , 188 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील वादीगण – श्री विनोद जैन

वकील प्रतिवादीगण – श्री नीलकमल त्रिवेदी/श्री अशोक पाटीदार

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ....व हाजिरी वकील वादी मिनजामिन मुदृदई रूबरू वकील प्रतिवादी मिलजामिन मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

प्रस्तुत वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार कर वाद डिक्री किया जाकर ग्राम रूपपुरा पटवार मण्डल कनवाडी की जमाबंदी सं. 2069–72 के खाता सं. 64 आराजी ख.नं. 244/173 रकबा 4 बीघा भूमि का वादी लालचन्द को खातेदार घोषित किया जाता है।

निज .... मुबलिग .... बाबत् .... खर्चा इस मुकदमें के मय सुद बशरह ....सदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27.10.20 को जारी की गई।

(श्री मनीषा तिवारी)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिशनर		
फीस कमिशनर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक मीजान			मीजान		

COURT 2020

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Tiwari
Date: 2020.10.27 16:55:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner